दहेज लोभी पति को सात वर्ष का सश्रम कारावास

- 15 हजार रुपये लगाया अर्थदंड जिला जज ने सुनाई सजा
- अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास

संसू, जागरण • श्रावस्तीः पर्याप्त दहेज न मिलने पर विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह ने बताया कि बहराइच जिले के विशेश्वरगंज क्षेत्र के पुरैना बाजार निवासी अब्दुल कुद्दूस ने अपनी बेटी तारा देवी उर्फ तरीबुननिशा की शादी वर्ष 2007 में श्रावस्ती जिले के इकौना क्षेत्र के साईंपुरवा निवासी गुलाम रसूल उर्फ ननके के साथ की थी। शादी के कुछ वर्ष बाद बेटी को पति, जेठ भोंदू व सास-ससुर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। एक नवंबर 2017 को प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर तारा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

इस मामले में पिता की तहरीर पर इकौना थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। विचारण व सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश धर दूबे ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।